कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/गोप्र/डी–II/ए–I/2019–20/   दिनांकः– 07/01/2021

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल शिक्षा

विषयः–निर्धारित चैनल के अनुसार ही वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन भिजवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त लोक सेवकों द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरा जाना निर्धारित है। प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/व्याख्याता आदि संवर्ग के लोक सेवकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह देखने में आया है कि कई प्रधानाचार्य लोक सेवक के रूप में स्वंय की तथा **अपने अधीनस्थ कार्यरत व्याख्याता की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR चैनल के अनुसार संबंधित समीक्षक/प्रतिवेदक अधिकारी को न भिजवाकर सीधे ही निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे है,** जो कि अपूर्ण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की श्रेणी में आती है। जिसे निदेशालय द्वारा आक्षेप लगाकर पुनः सम्बंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। इस अनावश्यक पत्राचार से प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के साथ–साथ कार्यालय कार्य में भी व्यवधान उत्पन होता है।

इस सम्बंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों/कार्यालयाध्यक्ष को पाबंद करे कि वे निदेशालय परिपत्र दिनांक 23.11.2020 में बताई गई प्रक्रिया/चैनल को पूर्ण करते हुऐ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को प्रेषित करें। इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें। यदि भविष्य में इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान की जवाबदेहीं तय की जायेगी।

7/1/21

(पितराम सिंह)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/गोप्र/डी–II/ए–I/2019–20/   दिनांकः– 07/01/2021

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अक्षरशः पालना हेतु।
4. समस्त संस्था प्रधान मावि/उमावि
5. समस्त प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी
6. स्टाफ ऑफिसर निजी अनुभाग कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)